भारत सरकार

रेल मंत्रालय

**राज्य सभा**

**23.03.2018 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3349 का उत्तर**

**रेलवे द्वारा अर्जित राजस्व पर फ्लेक्सी किराये का प्रभाव**

3349. श्री अमर शंकर साबलेः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे अपनी फ्लेक्सी किराया प्रणाली को संशोधित करने का विचार रखता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सितंबर, 2016 में फ्लेक्सी किराया लागू किए जाने के बाद से रेलवे द्वारा अर्जित राजस्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सरकार द्वारा फ्लेक्सी किराया प्रणाली में इस तरह संशोधन करने के लिए क्या नवीनतम कदम उठाए गए हैं जिससे लोगों की जेब पर कोई असर न हो तथा रेलवे का राजस्व अर्जन संबंधी लक्ष्य भी पूरा हो जाए?

**उत्तर**

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)

 (क) और (ख) : फ्लैक्सी फेयर स्कीम की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के विचारार्थ विषयों में सभी विकल्पों की जांच करना और यात्रियों तथा रेलवे के हित को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम विकल्प की सिफारिश करना था। समिति ने अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है और इसकी जांच की जा रही है।

(ग) : 9 सितम्बर 2016 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तदनुरुपी अवधि की तुलना में यात्री यातायात से आमदनी में 14.5% की वृद्धि हुई है। अप्रैल 2017 से फरवरी 2018 तक की अवधि के दौरान भी पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में यात्री यातायात से आमदनी में 9.5% की वृद्धि हुई है।

(घ) : इस समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

\*\*\*\*\*\*\*